संख्या-13/2015/1140/26-2-2015

प्रेषक,

सुनील कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

समाज कल्याण अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 08 जून, 2015

विषयः- तहसील तथा जनपद स्तर पर गठित क्रमशः भरण-पोषण अधिकरण तथा अपील अधिकरण के संचालन के संबंध में एस0ओ0पी0 निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि उ0प्र0 शासन समाज कल्याण अनुभाग-2 के नोटिफिकेशन संख्या-2595/26-2-2014-100(2)/2008, दिनांक 20.10.2014 द्वारा प्रत्येक राजस्व जिले की प्रत्येक तहसील में भरण-पोषण अधिकरण तथा नोटिफिकेशन संख्या-2596/26-2-2014-100(2) /2008, दिनांक 20.10.2014 द्वारा अपील अधिकरण का गठन जनपद स्तर पर प्रत्येक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कर दिया गया है। शासनादेश संख्या-2677/26-2-2014-100(2)/2008टी0सी0, दि0 31.10.2014 द्वारा जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी को पदेन भरण-पोषण अधिकारी भी नामित कर दिया गया है।

2- अतः माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम-2007 एवं उत्तर प्रदेश माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण नियमावली 2014 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप अधिकरणों के संचालन के संबंध में एस0ओ0पी0 (Standard Operational Procedure) संलग्न कर भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया संलग्न एस0ओ0पी0 में उल्लिखित तथ्यों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-13/2015/1140(1)/26-2-2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- मुख्य सचिव, उ0प्र0।
3- सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001
4- महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ।
5- महामहिम राज्यपाल के प्रमुख सचिव, उ0प्र0।
6- मा0 मुख्य मंत्री के प्रमुख सचिव, उ0प्र0।
7- समस्त विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0।
8- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
9- पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
10- समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
11- मा0 विभागीय मंत्री जी के निजी सचिव।
12- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
13- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

केदारनाथ
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।